भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3589
बुधवार, 2 अप्रैल, 2025 (12 चैत्र, 1947 (शक)) को उत्तरार्थ

शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन

3589 # श्री नीरज शेखरः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी सहकारी बैंकों के लिए 'अम्ब्रेला संगठन' के गठन के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) अम्ब्रेला संगठन इस क्षेत्र के सामने आ रही कठिनाइयों का समाधान किस प्रकार कर सकता है;

(ग) क्या 'अम्ब्रेला संगठन' ने अपनी वित्तीय गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का समाधान करने के लिए एक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी । शहरी सहकारी बैंक (UCBs) खंडित और असमन्वित वातावरण में काम कर रहे हैं, जिससे उनके विकास, स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा आ रही है। विनियामक स्पष्टता की कमी, प्रचालानात्मक अकुशलता और संसाधनों तथा विशेषज्ञता तक सीमित पहुँच ने अनेक शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को वित्तीय अस्थिरता, कमजोर शासन और बाज़ार के दबावों के प्रति संवेदनशील बना दिया है ।

नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) नामक एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में की गई है, ताकि भारत के शहरी सहकारी बैंक (UCB) क्षेत्र को वित्तीय रूप से लचीला बनाने, जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने और देश की वित्तीय प्रणाली में इन्हें एक प्रमुख कर्ता-धर्ता के रूप में स्थापित किया जा सके।

(ख) अम्ब्रेला संगठन (UO) शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को विभिन्न निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित सेवाएं प्रदान करेगा । निधि आधारित सेवाओं में पूंजीगत सहायता, ऋण और अग्रिम, पुनर्वित्त सुविधाएं, रेपो के माध्यम से अतिरिक्त सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) प्रतिभूतियों के लिए चलनिधि सहायता और UCBs से जमा स्वीकार करना शामिल है।

गैर-निधि-आधारित सेवाओं में सदस्य बैंकों के उपयोग के लिए आईटी अवसंरचना स्थापित करना; निधि प्रबंधन/ कोष प्रबंधन सेवाएँ; विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में परामर्श सेवाएँ; क्षमता निर्माण सेवाएँ जैसे प्रशिक्षण, सेमिनार और सम्मेलन; और अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं ।

(ग) और (घ) अल्प समय के भीतर, अम्ब्रेला संगठन (UO) ने व्यवसाय प्रारंभ कर दिया है और UCBs की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ सेवाएं शुरू कर दी हैं ।

अम्ब्रेला संगठन (UO) ने निम्नलिखित सेवाएं शुरू की हैं:

i. **<u>विधिक परामर्श</u>**: अम्ब्रेला संगठन (UO) का कानूनी संसाधन बैंकों द्वारा आवश्यक कुछ बुनियादी समझौतों के लिए मुफ्त टेम्पलेट और मुफ्त पुनरीक्षण प्रदान कर रहा है। बड़े/जटिल करार तैयार करना प्रभार्य है लेकिन बाजार दरों से काफी कम है ।
ii. **<u>सहकार अनुपालन निगरानी सेवा</u>**: एक तरफ बैंकों के कोर-बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) के साथ और दूसरी तरफ आरबीआई के दक्ष पोर्टल के साथ एकीकृत करके बैंकों के लिए सभी विनियामक अनुपालनों का स्वचालन ।
iii. **<u>प्रौद्योगिकी परामर्श</u>**: अम्ब्रेला संगठन (UO) के संसाधन सीबीएस, साइबर सुरक्षा, आईटी अनुपालन आदि जैसे सभी पहलुओं पर बैंकों को प्रौद्योगिकी संबंधी परामर्श प्रदान कर रहे हैं।

अम्ब्रेला संगठन (UO) ने निम्नलिखित की स्थापना और कार्यान्वयन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (EOI) भी प्रकाशित की है;

i. **<u>सहकार क्लाउड</u>**: इस क्षेत्र के लिए क्लाउड/डेटा सेंटर बनाना और पैमाने की बचतों को प्राप्त करके समग्र लागत को कम करना ।
ii. **<u>सहकार सीबीएस</u>**: सभी UCBs, विशेष रूप से टियर 1, टियर 2 और यूनिट बैंकों के लिए इंडस्ट्री-बेस्ट, मानकीकृत कोर बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए ।
iii. **<u>सहकार बॉक्स</u>**: अम्ब्रेला संगठन (UO) द्वारा अभिनव पेशकश यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे UCBs भी साइबर सुरक्षा, लचीलापन, आपदा वसूली और बैकअप सेवाओं को काफी किफायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं ।
iv. **<u>सहकार परिषद - विशेषज्ञ पैनल:</u>** शहरी सहकारी बैंकों(UCBs) को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर, संपरीक्षा, राजकोष, अनुपालन और व्यवसाय विकास आदि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न बाहर के विशेषज्ञों की सलाह की आवश्यकता होती है ।

*****